


21/2/22 पत्रावली पेश हुई, अपीलार्थों के अधिवक्ता
अनुपस्थित। न्यायालय समय तक इंतजार
किया बावजूद सूचना अनुपस्थित।
अपील अपीलार्थ अथवा दायीं
अदन पैरवी में खारिज की जाती
है। पत्रावली केवल शुभार नंबर से
कुम होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर है। आदेश से इजलाहा
सुनाया गया।


राजस अपील अधिकारी
बाड़मेर